

कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश सभागार।

संख्या- प्राशिव/परिषद सम्बद्धता/2020/1071

तख्तनांक दिनांक: 15-8-2020

:-कार्यालय धारा:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्यवाही कार्यालय ऑफ इन्फिन्टा, नई दिल्ली द्वारा सैदिक सत्र 2020-21 हेतु शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सभागार में सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अख्य, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सभागार की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संभल हुई। बैठक में सभिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित गई संस्थानों को सम्बद्धता/पूर्ण से सभधिता संस्थानों को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य गरी पर विचार कलू हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त में अनुक्रम में सम्बद्धता सभिति की बैठक के गद-13 में शिक्षण इन इन्फिन्टा पाठ्यक्रम सभधिता करने वाली गुर से सम्बद्ध संस्थानों को प्रकल्प रखा गया। सम्बद्धता सभिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नलि निर्णय लिया गया :-

"परिषद से गुर से सम्बद्ध निजी क्षेत्र की संस्थाएं जिन्हें सत्र 2020-21 में एआई0सी0टी0ई0 द्वारा संस्था में सभधित प्रवेश पाठ्यक्रमों की प्रवेश क्षमता में कमी की गयी है, को सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान करने पर सभिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसभित से सत्र 2020-21 हेतु एआई0सी0टी0ई0 द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आहूत सम्बद्धता सभिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सभागार द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अर्धी पाठ्यक्रम एवं उक्तमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	एआई0सी0टी0ई0 / द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	एआई0सी0टी0ई0 / परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	संस्था संख्या 1004	संस्था इन्फिन्टा ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलोजी, कर्नाली रोड, गान्धी।	मेकैनिक्ल इंजीनियरिंग मिडिल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	60 60 60	30 60 60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एआई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1962, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण सभिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इन्फिन्टा पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,150.00/- प्रतिवर्ष दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 46,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण सभिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु फीस का पुनर्निधारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा सभितियों तथा छप सभितियों, संस्थानों को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों में रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एआई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिपा/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्गरी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सद्ों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1564-K S INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY, KARAUNDI ROAD, SHAMLI			
क्र०स०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	30	30
2	CIVIL ENGINEERING	30	30
3	ELECTRICAL ENGINEERING	30	30

10/10/2019

10/10/2019 10:10:10 AM

10/10/2019 10:10:10 AM

10/10/2019

10/10/2019 10:10:10 AM
KAPALUCHI ROAD, SHAMLI



10/10/2019 10:10:10 AM

10/10/2019

कार्यालय

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश तखनऊ।

संख्या:- प्राविध/परिषद/सम्बद्धता/2022/7817

तखनऊ दिनांक: 30/08/2022

कार्यालय भाषा:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्ग्रेसी कॉन्सलिट ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैद्धिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा सार्वीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, तखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अर्हित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य नदी पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, तखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अर्हित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1564-K S INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY			
क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	30	30
2	ELECTRICAL ENGINEERING	30	30
3	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	30	30

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली 2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30-150,000/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ सत्र में संपुका प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधिनियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक

